an>

Title: Need to restore the ownership of land acquired for the proposed bird sanctuary in Begusarai district in Bihar to the farmers.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदय, वर्ष 1988-89 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में 15,000 एकड़ जमीन में पक्षी विहार के रूप में घोषणा की थी। वहां साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से पक्षी आकर प्रजनन करते थे। वहां जल था, मछुआरे मछली मारते थे। लेकिन पिछले 25 वर्षों से जल की एक बूंद भी नहीं है तब भी यह पक्षी विहार बना हुआ है। 15,000 एकड़ जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं। यहां गेहूं, मकई, सरसों की खेती है। रूपसी तितलियां गेहूं के गोरे गालों पर बलखाती, नाचती और थिरकती हैं। सरसों के फूल पर मधुमक्खियां मकरंद चुराकर मधु बनाती हैं। किसानों की किशोरी बालाएं पायलों की झन्कार के साथ खेत की मेहड़ों पर नाचती हैं, कूदती हैं और फसल काटती हैं। भारत सरकार ने यह सब वर्जित कर दिया है।

महोदय, अगर यहां जल रहता, पक्षी विहार होता तो हमें कोइ ऐतराज नहीं था। आज किसान विहार की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कावर झील हमारी बेटियों के सुहाग का सिंदूर है, मां के तन के कपड़े हैं, बच्चों की रोटी है, पेट की रोटी है, बच्चों की कलम और पेंसिल है, दूध है। अगर किसानों को अपनी जमीन पर बिना अधिगृहण और मुआवजे को रोकने की चेष्टा हुई तो मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय को सिंगूर के रास्ते पर जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पक्षी विहार नहीं बल्कि किसान विहार के रूप में कावर झील को घोषित किया जाए। किसानों के हित में कदम उठाए जाएं और उनकी जमीन लौटाई जाए।